न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 137/2022

1 जगदीश पुत्र गोविन्दराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पतासी देवी पत्नी सुरजाराम।
2 कुम्भाराम पुत्र सुरजाराम।
3 सजना पुत्री सुरजाराम।
4 बरफी पुत्री सुरजाराम।
5 सुतित्रा पुत्री सुरजाराम।
6 अंजू पुत्री संतोष पुत्री सुरजाराम।
7 ममता पुत्री संतोष पुत्री सुरजाराम।
8 भगूराम पुत्र साधूराम पुत्र रामूराम।
9 बद्री पुत्र साधूराम पुत्र रामूराम।
10 सुल्तान पुत्र साधूराम पुत्र रामूराम।
11 झाबर पुत्र साधूराम पुत्र रामूराम।
12 शीशराम पुत्र साधूराम पुत्र रामूराम।
13 नरेन्द्र पुत्र गोविन्दराम।
14 उर्मिला पत्नी श्रीराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
15 तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर दिनांक 17.11.2022 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 15-5-23

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 319/2017 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुराने खसरा नम्बर 261 नये खसरा नम्बर 915, 916, 917, 918, 919 कुल किता 5 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर तन रामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर तथा खसरा नम्बर 906, 907, 908, 909 तन रामपुरा के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 ने एक दावा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा रेकार्ड दुरूस्ती अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश फास्टेक श्रीमाधोपुर में प्रस्तुत किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट को सुनवाई बहस सुने कानूनी प्रावधानों के विपरीत डिकी करने का गलत निर्णय पारित कर दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा गत खसरा नम्बर 261 से बने हाल खसरा नम्बर 915 से 919 रकवा 2.64 हैक्टर स्वयं का बताकर अपीलांट की भूमि खसरा नम्बर 906 से 909 रकबा 1.71 हैक्टर में वादी की 0.35 हैक्टेयर भूमि दौराने सेटलमेंट नक्शे मे अधिक दर्ज होने का कथन कर घोषणा व नक्शा दुरस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया। अपीलांट का गत खसरा नम्बर का रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा हाल मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित रकबा 1.69 हैक्टेयर होता है। राजस्व रिकार्ड में 1.71 हैक्टर दर्ज है। स्पष्ट है कि केवल 0.02 हैक्टर का अन्तर है। विचारण न्यायालय में वादी ने 0.35 हैक्टर अपीलांट से दिलवाने का अनुतोष चाहा है। इसका कोई आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। विवादित भूमि की पड़ोस में अन्य खातेदार भी है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के केवल मात्र तहसीलदार की रिपार्ट के आधार पर अपीलांट के खसरा नम्बर 909 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि कम करने की डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी ने दावे की मद संख्या 3 में स्पष्ट अंकन किया है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट की भूमि की पूर्वी सीमा को अपीलांट की सीमा में दबाकर भू–प्रबंध विभाग द्वारा नक्शे में रकबा कम कर दिया गया है। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत भूमि अधिकारी तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से होती है। अपीलांट की यह स्वीकारोक्ति है कि उनका गत रकवा 6 बीघा 13 बिस्वा था। जिसका हाल मैट्रिक प्रणाली में रकबा परिवर्तन करने पर रकबा 1.68 हैक्टर होता है। राजस्व रिकार्ड में रकबा 1.71 हैक्टर दर्ज है स्पष्ट है कि 0.03 हैक्टर रकबा अपीलांट की खातेदारी में अधिक दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने भूमि अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत भूमि अधिकारी की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही इस रिपोर्ट को सक्षम स्तर पर निगरानी में चुनौती ही दी गई है। ऐसी स्थिति में अब अपील के स्तर पर इस रिपोर्ट पर आक्षेप नहीं उठाया जा सकता है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दिनांक 28.04.2017 से 26.11.2019 तक अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया, बार-बार जवाब हेतु हिदायत दी जाकर अन्तिम अवसर दिया जाकर जवाबदेही बंद की गई है। अपीलांट द्वारा इस जवाब को खुलवाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा 39 तारीख पेशी जवाब हेतु लेने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पुराने नक्शे का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने दावे की मद संख्या 3 में स्पष्ट अंकन किया है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट की भूमि की पूर्वी सीमा को अपीलांट की सीमा में दबाकर भू-प्रबंध विभाग द्वारा नक्शे में रकबा कम कर दिया गया है। इसकी पुष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत भूमि अधिकारी तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 से होती है। इस रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने स्पष्ट अंकन किया है कि राजस्व ग्राम रामपुरा के नये खसरा नम्बर 906 से 909 कुल किता 04 रकबा 1.71 हैक्टर दर्ज है, जिनके पुराने खसरा नम्बर 248 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। जो पुराने रकबा के मुकाबले 0.03 हैक्टर अधिक है। खसरा नम्बर 909 में 0.03 है. खसरा नम्बर 915 से 919 तक का रकबा शामिल हो गया है। खसरा नम्बर 915 से 919 तक का कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

था, जिसके पुराने खसरा नम्बर 261 थे। यह है कि खसरा नम्बर 909 का रकबा 0.34 है. में 0.03 है. पूर्वी दिशा से कम होकर खसरा नम्बर 915 में पश्चिमी दिशा में शामिल होकर खसरा नम्बर 915 का रकबा बढेगा, जो लाल स्याही से नक्शा ट्रेस में अंकित है। इस रिपोर्ट के खण्डन में कोई विधि सम्मत तथ्य अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है।

यहां यह भी विचारणीय है कि वरवक्त बहस अपीलांट की यह स्वीकारोक्ति है कि उनका गत रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा था। जिसका हाल मैट्रिक प्रणाली में रकबा परिवर्तन करने पर रकबा 1.69 हैक्टर होता है। जबकि वास्तविक गणना करने पर रकबा 1.68 है. ही बनता है। राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का रकबा 1.71 हैक्टर दर्ज है स्पष्ट है कि 0.03 हैक्टर रकबा अपीलांट की खातेदारी में अधिक दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने भूमि अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत भूमि अधिकारी की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, न ही इस रिपोर्ट को सक्षम स्तर पर निगरानी में चुनौती ही दी गई है। ऐसी स्थिति में अब अपील के स्तर पर इस रिपोर्ट पर आक्षेप नहीं उठाया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में दिनांक 28.04.2017 से 26.11.2019 तक अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया गया, बार–बार जवाव हेतु हिदायत दी जाकर अन्तिम अवसर दिया जाकर जवाबदेही बंद की गई है। अपीलांट द्वारा इस जवाब को खुलवाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा 39 तारीख पेशी जवाब हेतु लेने के उपरांत भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट एवं पुराने नक्शे का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ...

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर